न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़

अपील–U281/2018/टीकमगढ/भू.रा.

सुरेन्द्र पुत्र श्री रामदयाल
निवासी – ग्राम डूडा तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– श्रीमती प्रभा तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र तिवारी
2– पवन तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र तिवारी
3– बालमकुन्द पुत्र श्री मन्नूलाल तिवारी
निवासीगण – ग्राम डूडा तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)
4– पटवारी हल्का डूडा तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 168/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया। कि बालमकुन्द तिवारी पुत्र मन्नूलाल तिवारी, सुरेन्द्र पुत्र रामदयाल ब्रहम्ण निवासी डूडा तहसील व जिला टीकमगढ को शासकीय बंटन की भूमि बगैर किसी सक्षम आदेश से विक्रय कर दी गयी है। इसलिये उनके विरूद्ध 165 (7ख) म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत् कार्यवाही की जाये।
2. यहकि, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 168/बी–121/2016–17 पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आवेदन पत्र पर तहसीलदार बड़ागॉव से रिपोर्ट ली गयी तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम डूडा तहसील व

(4)

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4281/2018/टीकमगढ़/भू.रा. सुरेन्द्र विरूद्ध श्रीमती प्रभा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक सुरेन्द्र की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 168/बी-121/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

29.X.18

1/2

2

4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेद्रक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

2/2

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य